न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:– 2024/142 दर्ज तिथिः–06.05.2024

1. सुखराम पुत्र विरधाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी ग्राम पंचायत बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.............वादी

बनाम

1. दूर्गाराम पुत्र गोरधनराम
   जाति ब्राह्मण निवासी सीलू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. सुगणी देवी पत्नी शान्तिलाल
3. अनेश कुमार पुत्र हरूराम
4. अशोक कुमार पुत्र हरूराम
5. हेमी पत्नी हरूराम
6. मोहनलाल पुत्र करनाराम
7. प्रभूराम पुत्र करनाराम
8. स्व0 वाधूदेवी पत्नी करनाराम, फौत के कायम मुकाम वारिसान प्रतिवादी संख्या 03 से 07 तक
9. रावलाराम पुत्र विरधाराम
10. बूधराम पुत्र विरधाराम
11. भागीरथराम पुत्र बूधराम
12. पूनमाराम पुत्र बूधराम
13. पपूदेवी पत्नी पूनमाराम
14. पपूदेवी पत्नी पूनमाराम
15. जगदीश पुत्र रावलाराम
16. गौतमराम पुत्र रावलाराम
17. जगदीश पुत्र हेमाराम
18. गोमी पत्नी हेमाराम
19. सोहनलाल पुत्र निम्बाराम
20. चकूदेवी उर्फ सकूदेवी पत्नी निम्बाराम
21. रामलाल पुत्र तूलसाराम
22. मीरो पत्नी रामलाल
23. डूंगराराम पुत्र गुलाबाराम
24. वीरो पत्नी रावताराम
25. परमेश्वरी पत्नी जालाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी ग्राम पंचायत बारासण तहसील गुड़ामालानी
......................असल प्रतिवादी

26. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा ए0जी0 गुड़ामालानी
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी।

..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी – श्री जगदीश कड़वासरा
श्री हरिश चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

&%la'kksf/kr fu.kZ;%&

निर्णय तिथिः–14.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 960 / 10.2142 है0, 1011 / 960 / 0.1639 है0, 957 / 6.6368 है0, 958 / 0.0324 है0, 959 / 0.0324 है0, 977 / 5.4228 है0, 977 / 2 / 0.4047 है0 वाके ग्राम भीलो की ढाणी एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1033 / 14.0345 है0, 1036 / 7.8185 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 13 से 14, 21 ता 23 तथा 25 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 13 से 14, 21 ता 23 तथा 25 ने जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा किया जावे।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

..................जिम्मे वादी

2. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

..................जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.................जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1, 13,14, 21, 23, 25

4. अन्य दादरसी।

..............उभयपक्षकारान

4. प्रकरण में दौरान ए बहस पक्षकारान के अभिभाषकगणों ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 07.03.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/982 दिनांक 17.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/982 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 08.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1621—1645 दिनांक 01.05.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1621—1645 दिनांक 01.05.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 एवं 2075—2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 960 / 10.2142 है0, 1011 / 960 / 0.1639 है0, 957 / 6.6368 है0, 958 / 0.0324 है0, 959 / 0.0324 है0, 977 / 5.4228 है0, 977 / 2 / 0.4047 है0 वाके ग्राम भीलो की ढाणी एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1033 / 14.0345 है0, 1036 / 7.8185 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर वादीगण का दावा बाबत् तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्र दिनांक 03.07.2025 को पारित की गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 28.07.2025 को प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 982 दिनांक 17.06.2025 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा संख्या 960 में विभाजन मार्किंग के समय पक्षकार की मार्किंग गलत अंकित हुई है। उक्त खसरा संख्या 960 में विभाजन प्रस्ताव में क्र. सं. 13 पर रामलाल पुत्र तुलछा कौम विश्नोई को आराजी रकबा 0.4442 है0 प्रस्तावित किया गया था। जो संलग्न नजरी नक्शा में M स्थान पर किया प्रस्तावित किया गया था। परंतु मानवीय भूल से संलग्न नजरी नक्शा में M मार्किंग के स्थान पर L मार्किंग कर दी गई। जबकि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 960 में से L मार्किंग स्थान पर किसी भी खातेदार को भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी। साथ ही निवेदन किया गया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार गुड़ामालानी की कलमी भूल से खसरा संख्या 957 में वादी सुखराम पुत्र विरधाराम को भूमि प्रस्तावित की गई है। परंतु प्रतिवादी संख्या 25 को उक्त एवं अन्य किसी भी खसरे में भूमि प्रस्तावित नहीं की गई है। प्रतिवादी संख्या 25 खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

957 में सहखातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 25 का हक निहित है। अंत में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/982 दिनांक 17.06.2025 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट में कलमी भूल से विभाजन प्रस्ताव में क्र.सं. 13 पर रामलाल पुत्र तुलछा कौम विश्नोई को आराजी खसरा संख्या 960 में प्रस्तावित रकबा 0.4442 है0 में नजरी नक्शा में अंकित L मार्किंग के स्थान पर M मार्किंग करने के साथ खसरा संख्या 957 में वादी सुखराम पुत्र विरधाराम को भूमि प्रस्तावित की गई भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम को 1/2 हिस्से की भूमि प्रस्तावित की जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 03.07.2025 में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 पर अनापत्ति जाहिर की गई।

7. मैंने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के परिप्रेक्ष्य में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/982 दिनांक 17.06.2025 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि क्र. सं. 13 पर रामलाल पुत्र तुलछा कौम विश्नोई को आराजी खसरा संख्या 960 में प्रस्तावित रकबा 0.4442 है0 में M मार्किंग की गई है। जबकि नजरी नक्शा में उक्त खसरा संख्या 960 में L मार्किंग की गई है। जिससे उक्त खसरा संख्या 960 के विभाजन एवं नजरी नक्शा में भिन्नता आ गई है। इस प्रकार उक्त गलती तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय कलमी भूल होना प्रतीत होती है। जिससे उक्त कलमी भूल को सुधार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा खसरा संख्या 957 में वादी सुखराम पुत्र विरधाराम को भूमि प्रस्तावित की गई भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम को 1/2 हिस्से की भूमि प्रस्तावित किये जाने का निवेदन किया गया है। अवलोकन विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम खसरा संख्या 957 में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम के नाम से किसी भी खसरे में आराजी प्रस्तावित नहीं की गई है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम का आराजी खसरा संख्या 957 में हिस्सा प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/982 दिनांक 17.06.2025 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट में क्र.सं. 13 पर रामलाल पुत्र तुलछा कौम विश्नोई को प्रस्तावित आराजी खसरा संख्या 960 में रकबा 0.4442 है0 में के संलग्न नजरी नक्शा में L मार्किंग के स्थान पर M मार्किंग किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम के नाम से किसी भी खसरे में आराजी प्रस्तावित नहीं की गई है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 25 परमेश्वरी पत्नी जालाराम को आराजी खसरा संख्या 957 में वर्तमान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 का स्वीकार किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2025 में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

10. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

11. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

13. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 960/10.2142 है0, 1011/960/0.1639 है0, 957/6.6368 है0, 958/0.0324 है0, 959/0.0324 है0, 977/5.4228 है0, 977/2/0.4047 है0 वाके ग्राम भीलो की ढाणी एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1033/14.0345 है0, 1036/7.8185 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अनेश कुमार पुत्र हरूराम हि0 1/12	भीलों की ढाणी	960	1.2920	बा0दो0
अशोक कुमार पुत्र हरूराम हि0 1/12		977	2.2418	बा0दो0
हेमीदेवी पत्नी हरूराम हि0 1/12		977/2	0.0709	बा0दो0
प्रभुराम पुत्र करना हि0 1/4		957	1.6592	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

मोहन पुत्र करना हि0 1/4 वाधूदेवी पत्नी करना हि0 1/4 कौम विश्नोई				
कुल किता 04 रकबा 5.2639 है0				
हेमीदेवी पत्नी हरूराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	977 1033	0.1653 0.3249	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.4902 है0				
अनेश कुमार पुत्र हरूराम हि0 5/24 अशोक कुमार पुत्र हरूराम हि0 5/24 हेमीदेवी पत्नी हरूराम हि0 1/12 मोहन पुत्र करना हि0 1/4 वाधूदेवी पत्नी करना हि0 1/4 कौम विश्नोई	मौखावा	1036	0.9573	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.9573 है0				
बुधराम पुत्र विरधा हि0 1/4 भागीरथराम पुत्र बुधराम हि0 1/4 पूनमाराम पुत्र बुधराम हि0 1/4 मोहनलाल पुत्र बुधराम हि0 1/4 कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	977 977/2 957 1033	1.4067 0.0709 1.6592 2.0542	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 5.1910 है0				
बुधराम पुत्र विरधा हि0 1/5 भागीरथराम पुत्र बुधराम हि0 2/5 मोहनलाल पुत्र बुधराम हि0 1/5 पूनमाराम पुत्र बुधराम हि0 1/5 कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	1.6380	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6380 है0				
भागीरथराम पुत्र बुधराम कौम विश्नोई	मौखावा	1036	0.5213	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.5213 है0				
रावला पुत्र विरधा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 977/2 957 958 1036	1.2920 0.0709 1.6592 0.0324 0.9573	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.0118 है0				
गोतमराम पुत्र रावलाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	977 1033	0.3391 0.8772	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.2163 है0				
जगदीश पुत्र रावलाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	977	0.1718	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

	मौखावा	1033	0.5523	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.7241 है0				
सुखराम पुत्र विरधा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 977 977/2 1033	1.2920 1.0981 0.0709 1.8040	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.2650 है0				
सुखराम पुत्र विरधा कौम विश्नोई हि0 1/2 परमेश्वरी पत्नी जालाराम कौम विश्नोई हि0 1/2	भीलों की ढाणी	957	1.6592	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6592 है0				
सुगणी पत्नी शांतिलाल जाति विश्नोई	मौखावा	1036	2.2429	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.2429 है0				
रामलाल पुत्र तुलछा मीरा पत्नी रामलाल कौम विश्नोई	मौखावा	1033 1036	2.3679 0.9573	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.3252 है0				
रामलाल पुत्र तुलछा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	0.4442	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.4442 है0				
सोहनलाल पुत्र नीम्बाराम चकूदेवी पत्नी निम्बाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 1033	0.8882 3.3539	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.2421 है0				
जगदीश पुत्र हेमा गोमी पत्नी हेमा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 977/2 1033 1036	0.8882 0.0709 1.3715 1.9882	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.3188 है0				
वीरों पत्नी रावताराम कौम विश्नोई	मौखावा	1033	1.1366	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.1366 है0				
डूंगराराम पुत्र गुलाबाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	0.4614	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.4614 है0				
दुर्गाराम पुत्र गोरधनराम कौम ब्राहम्ण	भीलों की ढाणी	960	1.0362	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.0362 है0				
पपूदेवी पत्नी पूनमाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	0.7122	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.7122 है0				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त रास्ता हेतु	भीलों की ढाणी मौखावा	960 960 1033 1036	0.1840 0.0858 0.1920 0.1942	गै0मु0 गै0मु0 गै0मु0 गै0मु0
कुल किता 04 रकबा 0.6560 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				
संयुक्त श्मशान हेतु	भीलों की ढाणी	977/2	0.0502	गै0मु0 श्मशान
कुल किता 01 रकबा 0.0502 है0 गै0मु0 श्मशान प्रयोजनार्थ				
अनेश कुमार वगैरह जमाबंदी अनुसार	भीलों की ढाणी	1011/960	0.1639	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1639 है0				
जगदीश पुत्र हेमा गोमी पत्नी हेमा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	959	0.0324	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.0324 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह संशोधित निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:— 2024 / 142 दर्ज तिथिः—06.05.2024

1. सुखराम पुत्र विरधाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी ग्राम पंचायत बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.............वादी

बनाम

1. दूर्गाराम पुत्र गोरधनराम
   जाति ब्राह्मण निवासी सीलू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. सुगणी देवी पत्नी शान्तिलाल
3. अनेश कुमार पुत्र हरूराम
4. अशोक कुमार पुत्र हरूराम
5. हेमी पत्नी हरूराम
6. मोहनलाल पुत्र करनाराम
7. प्रभूराम पुत्र करनाराम
8. स्व0 वाधूदेवी पत्नी करनाराम, फौत के कायम मुकाम वारिसान प्रतिवादी संख्या 03 से 07 तक
9. रावलाराम पुत्र विरधाराम
10. बूधराम पुत्र विरधाराम
11. भागीरथराम पुत्र बूधराम
12. पूनमाराम पुत्र बूधराम
13. पपूदेवी पत्नी पूनमाराम
14. पपूदेवी पत्नी पूनमाराम
15. जगदीश पुत्र रावलाराम
16. गौतमराम पुत्र रावलाराम
17. जगदीश पुत्र हेमाराम
18. गोमी पत्नी हेमाराम
19. सोहनलाल पुत्र निम्बाराम
20. चकूदेवी उर्फ सकूदेवी पत्नी निम्बाराम
21. रामलाल पुत्र तूलसाराम
22. मीरो पत्नी रामलाल
23. डूंगराराम पुत्र गुलाबाराम
24. वीरो पत्नी रावताराम
25. परमेश्वरी पत्नी जालाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी ग्राम पंचायत बारासण तहसील गुड़ामालानी
......................असल प्रतिवादी

26. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा ए0जी0 गुड़ामालानी
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी।
..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी – श्री जगदीश कड़वासरा
श्री हरिश चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

&%la'kksf/kr ipkZ fMØh%&

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 960/10.2142 है0, 1011/960/0.1639 है0, 957/6.6368 है0, 958/0.0324 है0, 959/0.0324 है0, 977/5.4228 है0, 977/2/0.4047 है0 वाके ग्राम भीलो की ढाणी एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1033/14.0345 है0, 1036/7.8185 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अनेश कुमार पुत्र हरूराम हि0 1/12 अशोक कुमार पुत्र हरूराम हि0 1/12 हेमीदेवी पत्नी हरूराम हि0 1/12 प्रभुराम पुत्र करना हि0 1/4 मोहन पुत्र करना हि0 1/4 वाधूदेवी पत्नी करना हि0 1/4 कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960 977 977/2 957	1.2920 2.2418 0.0709 1.6592	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 5.2639 है0				
हेमीदेवी पत्नी हरूराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी [illegible]	977 1033	0.1653 0.3249	बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 02 रकबा 0.4902 है0				
अनेश कुमार पुत्र हरूराम हि0 5/24 अशोक कुमार पुत्र हरूराम हि0 5/24 हेमीदेवी पत्नी हरूराम हि0 1/12 मोहन पुत्र करना हि0 1/4 वाधूदेवी पत्नी करना हि0 1/4 कौम विश्नोई	मौखावा	1036	0.9573	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.9573 है0				
बुधराम पुत्र विरधा हि0 1/4 भागीरथराम पुत्र बुधराम हि0 1/4 पूनमाराम पुत्र बुधराम हि0 1/4 मोहनलाल पुत्र बुधराम हि0 1/4 कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	977 977/2 957 1033	1.4067 0.0709 1.6592 2.0542	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 5.1910 है0				
बुधराम पुत्र विरधा हि0 1/5 भागीरथराम पुत्र बुधराम हि0 2/5 मोहनलाल पुत्र बुधराम हि0 1/5 पूनमाराम पुत्र बुधराम हि0 1/5 कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	1.6380	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6380 है0				
भागीरथराम पुत्र बुधराम कौम विश्नोई	मौखावा	1036	0.5213	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.5213 है0				
रावला पुत्र विरधा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 977/2 957 958 1036	1.2920 0.0709 1.6592 0.0324 0.9573	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.0118 है0				
गोतमराम पुत्र रावलाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	977 1033	0.3391 0.8772	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 1.2163 है0				
जगदीश पुत्र रावलाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	977 1033	0.1718 0.5523	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.7241 है0				
सुखराम पुत्र विरधा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960 977 977/2 1033	1.2920 1.0981 0.0709 1.8040	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 04 रकबा 4.2650 है0				
सुखराम पुत्र विरधा कौम विश्नोई हि0 1/2 परमेश्वरी पत्नी जालाराम कौम विश्नोई हि0 1/2	भीलों की ढाणी	957	1.6592	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6592 है0				
सुगणी पत्नी शांतिलाल जाति विश्नोई	मौखावा	1036	2.2429	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.2429 है0				
रामलाल पुत्र तुलछा मीरा पत्नी रामलाल कौम विश्नोई	मौखावा	1033 1036	2.3679 0.9573	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.3252 है0				
रामलाल पुत्र तुलछा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	0.4442	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.4442 है0				
सोहनलाल पुत्र नीम्बाराम चकूदेवी पत्नी निम्बाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 1033	0.8882 3.3539	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.2421 है0				
जगदीश पुत्र हेमा गोमी पत्नी हेमा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी मौखावा	960 977/2 1033 1036	0.8882 0.0709 1.3715 1.9882	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 4.3188 है0				
वीरों पत्नी रावताराम कौम विश्नोई	मौखावा	1033	1.1366	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.1366 है0				
डूंगराराम पुत्र गुलाबाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	0.4614	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.4614 है0				
दुर्गाराम पुत्र गोरधनराम कौम ब्राहम्ण	भीलों की ढाणी	960	1.0362	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.0362 है0				
पपूदेवी पत्नी पूनमाराम कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	960	0.7122	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.7122 है0				
संयुक्त रास्ता हेतु	भीलों की ढाणी मौखावा	960 960 1033 1036	0.1840 0.0858 0.1920 0.1942	गै0मु0 गै0मु0 गै0मु0 गै0मु0
कुल किता 04 रकबा 0.6560 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				
संयुक्त श्मशान हेतु	भीलों की	977/2	0.0502	गै0मु0 श्मशान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 01 रकबा 0.0502 है0 गै0मु0 श्मशान प्रयोजनार्थ				
अनेश कुमार वगैरह जमाबंदी अनुसार	भीलों की ढाणी	1011 / 960	0.1639	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1639 है0				
जगदीश पुत्र हेमा गोमी पत्नी हेमा कौम विश्नोई	भीलों की ढाणी	959	0.0324	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.0324 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।
यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested